



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/420

12.08.2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: एमएसएमई और लघु व्यवसायों पर सीबीएएम और अन्य विनियमों के वित्तीय प्रभाव पर आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने के संबंध में।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) और अन्य प्रासंगिक विनियमों के परिणामस्वरूप एमएसएमई और छोटे व्यवसायों द्वारा वहन की गई लागतों पर विस्तृत डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

उदाहरण: कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) यूरोपीय संघ का एक उपकरण है जो यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन-प्रधान उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारित करता है और गैर-यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। सीबीएएम अपनी निश्चित व्यवस्था में 2026 से लागू होगा।

कृपया ध्यान दें कि डेटा विशेष रूप से इन विनियमों के व्यवसायों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें कोई अतिरिक्त अनुपालन या परिचालन लागत भी शामिल होनी चाहिए।

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना जवाब अधोहस्ताक्षरी को bharti@plexconcil.org shilpa@plexconcil.org पर दिनांक **16.08.2025** तक या उससे पहले भेज दें ताकि उसे विभाग को प्रस्तुत किया जा सके।

सादर,

भारती परवे-

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद